



प्रेस नोट

दिनांक 21.07.2025

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को मु0अ0सं0 2213/2014 धारा 13 जुआं अधिनियम से संबंधित वारंटी अभियुक्त अरविंद पुत्र कल्लू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

अरविंद पुत्र कल्लू उम्र 36 वर्ष निवासी बड़े इमिलिया थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 संजय कुमार राय
2. आरक्षी अनुराग सिंह

